कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक:- 1571 /11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 26 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0व0, सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय:- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0/340, दिनांक 08.09.2023, इस कार्यालय का पत्रांक-1427/11-सी, दिनांक 08.12.2023 एवं आपका पत्रांक-1675/14-10, दिनांक 19.12.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुये सम्बन्धित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.12.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया:-

प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0-03 के निराकरण के क्रम में संशोधित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः संशोधित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल एवं सी0ए0 चेक लिस्ट ऑनलाइन अपलोड करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0-05 के निराकरण के क्रम में गोण्डा वन प्रभाग में रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट-2 के Additonal Information Detail में अपलोड नहीं की गयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या के स्तर पर पायी गयी कमियाँ:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0-01 के क्रम में संशोधित सी0ए0 स्थल पर पूर्ण से ही वृक्ष दिखाई दे रहे है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि चयनित स्थल सी0ए0 हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है तथा किसी अन्य परियोजना में नहीं लिया गया है तथा सी0ए0 चेक लिस्ट ऑनलाइन अपलोड करें। अतः भारत सरकार की आपत्ति सं0-01 का सही निराकरण कर सूचना प्रेषित करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0-05 के निराकरण के क्रम में अयोध्या वन प्रभाग में रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट-2 के Additonal Information Detail में अपलोड नहीं की गयी है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर भारत सरकार द्वारा की गयी आपत्तियों का संशोधित पूर्ण बिन्दुवार निराकरण संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

V.P.C.
आ.का.वा.
E.F.Code
26/12/23

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक:- 1571 /11-सी-FP/UP/Road/151936/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, गोण्डा एवं बस्ती।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या, गोण्डा एवं बस्ती।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक-2597/33-1, दिनॉक, गोण्डा, दिसम्बर 26/2023

प्रतिलिपिः-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराते हुये इस कार्यालय को अवगत करायें।

O/C

अग्रेषित
26/12/23
प्रधान सहायक
कार्यालय वन संरक्षक
गोण्डा

वन संरक्षक
देवीपाटन वृत्त, गोण्डा

Scanned with CamScanner